चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नन्दराम तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.03.2025 को वादी श्री बालकृष्ण पुत्र छोटेलाल द्वारा थाना बहिलपुरवा पर सूचना दी कि मेरी पुत्री मनीषा देवी बिना सूचना के घर से कही चली गयी है। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में गुमशुदगी दर्ज किया गया। गुमशुदगा महिला की तलाश हेतु उ0नि0 श्री नन्दराम को प्रभारी निरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री नन्दराम व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज दिनाँक 21.03.2025 को गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर परिजन को सुपुर्द किया गया। अपनी पुत्री को पाकर परिजन के चेहरे पर लौटी मुस्कान एवं पुलिस की सक्रियता के लिये धन्यवाद प्रकट किया।

(4). जिला न्यायाधीश श्री राकेश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री अमृता पाल कौर, सीजीएम राजेंद्र प्रसाद भारती, सचिव/अपर जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण नीलू मेनवाल ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
न्यायाधीश महोदय द्वारा महिला बैरक में निरुद्ध महिला कैदियों, चिकित्सालय एवं पाकशाला (रसोई घर) हाई सिक्योरिटी, हाता नंबर तीन के बैरिको का निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश व पुलिस अधीक्षक ने महिला बैरक का निरीक्षण के दौरान निरुद्ध महिला कैदियों से खानपान व समस्याओं के बारे में जानकारी लिया गया तत्पश्चात उन्होंने अस्पताल वार्ड का निरीक्षण किया एवं कैदियों से उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी लिए एवं निर्देशित किया कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करते रहें। हाई सिक्योरिटी में कैदियों से समस्याओं के बारे में जानकारी तथा पाकशाला का निरीक्षण किया जहां मीनू के हिसाब से भोजन बनते हुएं पाई गई। जनपद न्यायाधीश व पुलिस अधीक्षक ने जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार शुद्धता के साथ दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए।

(5). उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में आज दिनांक 21.03.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में माननीय न्यायालय में नियुक्त अभियोजन अधिकारी एवं जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ अभियोजन वीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वर्ष 2024 के दौरान माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहे विभिन्न अपराध शीर्षकों जैसे हत्या,बलात्कार,दहेज हत्या,लूट,डकैती,चोरी,नकबजनी,गैंगेस्टर,माफिया एवं पॉक्सो अधिनियम आदि के कुल 366 मुकदमों में 576 अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। इस दौरान 21 मुकदमों में 38 अभियुक्तों को आजीवन करावास, 10 मुकदमों में 14 अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास, 23 मुकदमों में 41 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास, 14 मुकदमों में 27 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास, 222 मुकदमों में 346 अभियुक्तों को 07 वर्ष से कम का कारावास तथा 76 मुकदमों में 110 अभियुक्तों को अर्थदण्ड से दण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी,पैरोकार एवं कोर्ट मुहर्रिरों का अहम योगदान रहा है।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री विनोद कुमार सिंह, श्री दिनेश त्रिपाठी,डीजीसी श्री श्याम सुन्दर मिश्रा,एडीजीसी श्री गोपाल दास,एडीजीसी श्री तेज प्रताप सिंह,एपीओ श्री हरिओम सिंह,एस0पी0ओ श्रीमती संगीता सिंह को प्रशस्ति पत्र

एवं मोमेन्टो तथा ए0डी0जी0सी0 श्री अजय कुमार,श्री सुशील कुमार सिंह,श्री सनद मिश्रा,पीओ श्री शशिकान्त यादव,पीओ श्री बृजमोहन,एपीओ श्री पीयूष यादव,एपीओ श्री सिद्धार्थ सिंह,एपीओ श्री आकाश साहू को प्रशस्ति पत्र एवं प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला,मुख्य आरक्षी श्याम सुन्दर न्यायालय सम्मन सेल,मुख्य आरक्षी भूपेन्द्र सिंह कोर्ट मुहर्रिर,मुख्य आरक्षी रामनारायण मॉनिटरिंग सेल,महिला आरक्षी उपासना सेंगर जनपद सम्मन सेल,आरक्षी प्रशान्त कुमार पैरोकार थाना कोतवाली कर्वी,आरक्षी धनेश मिश्रा पैरोकार थाना मऊ,आरक्षी प्रदीप कुमार पैरोकार थाना बरगढ़,आरक्षी आकाश कुमार पैरोकार थाना पहाड़ी,आरक्षी अशोक कुमार थाना सरधुवा,आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह थाना मारकुण्डी,महिला आरक्षी शिवानी द्विवेदी कोर्ट मुहर्रिर,आरक्षी अंकित कुमार कोर्ट मुहर्रिर,आरक्षी रामबाबू कोर्ट मुहर्रिर,महिला आरक्षी प्रतिमा सिंह कोर्ट मुहर्रिर,महिला आरक्षी सरिता मौर्य कोर्ट मुहर्रिर,महिला आरक्षी रक्षा यादव मॉनिटरिंग सेल को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेन्टो तथा आरक्षी धीरेन्द्र कुमार मॉनिटरिंग सेल,आरक्षी सूरजपाल मॉनिटरिंग सेल को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 2024 में किये गये कार्यों की सराहना करते हुए ऐसे ही भविष्य में लगन व मेहनत से कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।
समारोह के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहे।

(6).   राज्य सरकार की मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में वर्ष 1996 से वर्ष 2022 तक अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में बरामद किये गये अवैध मादक पदार्थों के निस्तारण(विनिष्टीकरण)करने हेतु श्री मान अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनाँक 30.07.2024 पारित आदेश के निर्देशन में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट चित्रकूट के आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 21.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,प्रभारी रिट सेल वीर प्रताप सिंह,चौकी प्रभारी खोह श्री सत्यमपति त्रिपाठी,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह,प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार व प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी नवल किशोर की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी के 88 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों में कुल 711 किलो गांजा, 03 मुकदमों में 50 ग्राम चरस,12 मुकदमों में 01 किलों 270 ग्राम स्मैक तथा 1500 नशीली गोलिया एवं थाना राजापुर के 29 मुकदमों में कुल 75 किलों गांजा, 04 मुकदमों में 136 ग्राम अफीम, 04 मुकदमों में 03 किलों 96 ग्राम स्मैक तथा 910 नशीली गोलियों को पुलिस लाइन परिसर एल्वीनेटर मशीन के अंदर डालकर जलाकर विनिष्टीकरण कराया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 21.03.2025 को थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2022 धारा 504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भोण्डी पुत्र स्व0 रामदीन निवासी ग्राम अहरा का पुरवा मजरा भानपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 21.03.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत एनसीआर नं0 109/2012 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामचरन पुत्र तेजबली निवासी तीरधुमई गंगू थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।